फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रा

मुकदमा संख्या :– /20

करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डि के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रेजात राज मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ता अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ता के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनु डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लि जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिका
चाकसू(जयपुर